वन अनुसंधान संस्था तथा कालेज देहरादून-के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के 78 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग) के विषय में प्राक्कलन समिति का 61वां प्रतिवेदन पेश करता हूँ।

चेकोस्लोवाकिया की स्थिति के बारे में

RE: SITUATION IN CZECHOSLOVAKIA

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : ऐसा समाचार मिला है कि श्री दुबचेक की हत्या कर दी गई है। यह भी कहा गया है कि चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति को देश से बाहर ले जाया गया है और उनकी मंजिल का पता नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार के पास क्या नवीनतम जानकारी है और क्या वह इस बारे में कोई वक्तव्य दे रही है।

Shri A. B. Vijpayee (Balrampur) : Some arrangements should be made to take the House into confidence regarding the happening in Czechoslovakia. The Government should clear its position in this regard. The Government should also inform the House about the attitude which they are going to adopt in the Security Council.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know two things . First of all may I know whether the Government is going to vote against the motion now before the Security Council or will abstain from it according to the wishes of their master Breznef (**interruptions**) and will obey just like slaves.

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है। (अन्तर्बाधायें)

श्री मु० अ० खान (कासगंज) : यह आपत्तिजनक है। इस प्रकार की चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

Shri Madhu Limaye : I am statating it very seriously.

अध्यक्ष महोदय : आप ने ऐसा नहीं किया है। आप तथ्यों का उल्लेख कर सकते थे। आपने कुछ ऐसी असंगत बातों का उल्लेख किया है जिससे इसकी गम्भीरता समाप्त हो गई है। आपने अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया है।

Shri Madhu Limaya : Secondly, I want to know whether Shri Ashok Mehta has expressed any desire to make a statement and whether you are giving him the permission.

Shri Tulshi Das Jadhav (Baramati) : I request that those words should be exempted from the proceedings of the House.

Shri M. A. Khan : They are unparliamentary sentences and, therefore, they should not be recorded in the proceeding of the House.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : माननीय सदस्य, जो श्री विलसन और श्री जोनसन के अनुभायी हैं, औरों को भी दूसरों का दास समझते हैं। क्या आप उन्हें उनके शब्द वापिस लेने के लिये मजबूर कर सकते हैं?

श्री जो० भा० कृपालानी (गुना) : इसका निर्णय आपने करना है कि सदस्य द्वारा कहे गये शब्द असंसदीय हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय :मुझे उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के बारे में विनिर्णय देना है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : प्रश्न यह है कि सदस्य द्वारा कहे गये शब्दों से क्या भारतीय संसद की गरिमा को आघात पहुँचता है अथवा नहीं (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : कुछ शब्द असंसदीय नहीं होते लेकिन वे बहुत आपत्तिजनक होते हैं··

श्री मधु लिमये : वे सर्वथा उचित हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य उन्हें उचित समझ सकते हैं। लेकिन सभा में बहुमत का ऐसा विचार नहीं है।

यदि सभा का एक पक्ष अपशब्द कहेगा तो दूसरा पक्ष भी उसी प्रकार से जबाब देगा।

श्री मधु लिमये : मैंने अपशब्द नहीं कहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये असंसदीय नहीं हैं। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं इसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित न करूं। आपत्तिजनक शब्दों को सभा की कार्यवाही से नहीं निकाला जा सकता। केवल असंसदीय शब्दों को ही सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसमें किसी प्रकार के संदेह की आवश्यकता नहीं।

अतः मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि यदि रिकार्ड देखने के बाद इसमें कोई असंसदीय बात मिलेगी तो हम उसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं करेंगे।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) विदेशों में इस बात की बड़ी अफवाह है कि सुरक्षा परिषद् की बैठक के समय हमारे वहां विद्यमान प्रतिनिधि को यह सलाह दी गई थी कि वह कुछ देशों द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर किये गये आक्रमण के विरूद्ध लाये गये प्रस्ताव के पक्ष में मतदान न करें। इस बारे में हम सरकार से निश्चित जानकारी चाहते हैं।

हम इस बारे में एक वक्तव्य चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद् में भारत के मान को फिर कोई आघात न पहुँचे।

श्री नाथ पाई (राजपुर) : इस बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। स्थगन प्रस्ताव हमेशा अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषयों के बारे में होता है। श्री अशोक मेहता ने कल त्यागपत्र दिया था। अतः इस विषय के महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता।

प्रश्न यह है कि क्या इस विषय में सरकार असफल रही है। यदि सरकार इस मामले में असफल नहीं होती तो श्री अशोक मेहता, जो कि इतने कर्त्तव्यनिष्ट सदस्य हैं त्याग-पत्र न देते। सरकार की नीति इस मामले पर असफल होने के कारण ही उन्होंने त्याग-पत्र दिया।

इस बात के भी समाचार प्राप्त हुए हैं कि श्री दुब्चेक की हत्या कर दी गई है। मुझे आशा है कि सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के अनुसार सरकार कार्यवाही करेगी। बहुत से विपक्षी सदस्यों के ये विचार हो सकते हैं लेकिन श्री अशोक मेहता द्वारा किये जाने वाला कार्य कोई व्यक्ति ही कर सकता है।

प्रधान मंत्री ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि सरकार चेकोस्लोवाकिया के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये कटिबद्ध है। लेकिन सरकार द्वारा श्रीमती सुचेता कृपालानी के स्थानापन्न प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने से हमें इस विषय में चिन्ता होने लगी है कि सरकार संयुक्तराष्ट्र संघ में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर पायेगी।

क्या सरकार इस बारे में कोई आश्वासन दे सकती है ? क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि वह सुरक्षा परिषद् के अपने प्रतिनिधि को यह निदेश देगी कि वह राष्ट्र वहां समस्त राष्ट्र की भावना व्यक्ति करें और केवल कुछ सरकारी व्यक्तियों के विचार व्यक्ति न करें।

अध्यक्ष महोदय : हम सबको यह बताया गया कि श्री दुब्चेक की हत्या कर दी गई है। इससे सम्पूर्ण मानवता को धक्का पहुँचेगा।

यह किसी विशेष दल का प्रश्न नहीं है। मैं श्री नाथ पाई द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव के बारे में निर्णय दे सकता हूँ अन्य बातों के बारे में नहीं। श्री अशोक मेहता जो कहना चाहें कह सकते हैं। मैं उन्हे वक्तव्य देने के लिये मजबूर नहीं कर सकता अतः मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN HOURS OF THE CLOCK

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

TH LOK SABHA REASSMBLED AFTER LUNCH AT FOURTEEN OF THE CLOCK

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Dy. Speaker in the Chair]

अध्यक्ष महोदय : सब सदस्य अपने स्थानों पर बैठें। मैं प्रत्येक सदस्य का नाम पुकारूंगा। प्रत्येक दल के सदस्य को बोलने का अवसर प्रदान किया जायेगा। (अन्तर्बाधाएं)

कुछ माननीय सदस्य उठे।**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी ने नियम 109 के अन्तर्गत चर्चा को समाप्त करने का नोटिस दिया है। दो मिनट के बाद मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

**सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not Recorded.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : We have lost the balance of our mind when we came to know that the Indian representative abstained in the Security Council . (**Interruptions**) The Prime Minister should be sent for.

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० रामसुभग सिंह) प्रधान मन्त्री दूसरे सदन में हैं और वह कुछ समय बाद सभा में आयेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की बाधाओं की अनुमति नहीं दे सकता । कृप्या सब सदस्य अपने स्थानों पर बैठ जायें ।

डा० रामसुभग सिंह : इस समय किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा रही है ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : यदि माननीय मन्त्री कुछ पढ़ेंगे तो हम भी नहीं सुनेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत मैं यह सहन नहीं कर सकया । मुझे नियमों का पालन करनद्व होगा (अन्तर्बाधाएं) श्री अशोक मेहता के नाम जो विषय है मैं उसे स्थगित करता हूँ ।

स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक—जारी

GOLD CONTROL BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम स्वर्ण नियंत्रण विधेयक पर खंडवार चर्चा करेंगे ।

Shri Atal Behari Vajpayee (Blalrampur) : Sir, I beg to move that the discussion on Gold Control Bill may be postponed under Rule 109. (**Interruptions**)

By invading Czechoslovakia, Russia, has acted against the principles of U. N. Charter. India abstained at the time when a motion to condemn Russia for their action against Czechoslovakia was brought in the Security Council. This is all against the assurances given by the Prime Minister. At the time of this resolution in the Security Council we remained neutral.

It appars as is Government has come under the pressure of Russia and it has not performed its duty correctly. This Government has not acted as it should have been and, therefore, we should be given time to discuss the situation in Czechoslovakia.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : हमें आज सुबह इस बात की जानकारी मिली कि भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधि मण्डल को यह निदेश दिये थे कि वह सुरक्षा परिषद में ऐसी आक्रमण की निन्दा करने के बारे में पेश किए गए प्रस्ताव पर तटस्थता का रुख अपनायें ।

यह बहुत शर्म की बात है कि इस प्रस्ताव पर जिससे रूस सरकार की चौकोस्लोवाकिया. पर आक्रमण करने के लिए निन्दा की गयी थी, भारत तटस्थ रहा अतः कल प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासनों की ओर ध्यान दिलाना तत्संगत होगा । हम उनके कहने पर विश्वास नहीं करते थे इसीलिये कल सभा में मत विभाजन हुआ ।

प्रधान मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि चैकोस्लोवाकिया के संयुक्त राष्ट्र उद्देश्य पत्र के अन्तर्गत आने वाले चैकोस्लोवाकिया के अधिकारों की हर सूरत में रक्षा की जायगी ।